

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2025/289

रीवा दिनांक : 17-4-2025

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

पं. रामगोपाल तिवारी तकनीकी एवं विज्ञान महाविद्यालय

अनूपपुर (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2024–2025 बावत।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27-12-2024 के आइटम क्रमांक 2(01) की अनुशंसा एवं माननीय कुलगुरु जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, पत्र क्रमांक/विकास/2025/133 दिनांक 19-02-2025 में आंशिक संशोधन करते हुए आपके महाविद्यालय को सत्र 2024–2025 के लिए कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	एलएल.बी. तृतीय वर्ष-120 सीट (बी.सी.आई. द्वारा प्रदत्त)।

नोट –

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. मूट कोर्ट को अपडेट करें।
3. लाइब्रेरी में पुस्तकें क्रय करें।
4. बार काउन्सिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही छात्रों को प्रवेश दें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2025–2026 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
4. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. सहायक कुलसचिव – परीक्षा/गोपनीय।
6. वित्त नियंत्रक।
7. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलगुरु जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)